2025 का विधेयक संख्यांक 8

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025

खण्डों के क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का प्रतिस्थापन।
4. धारा 7 का संशोधन।

2025 का विधेयक संख्यांक 8

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2025 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 में,.

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"(1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थातः—

(क) मुख्य मन्त्री — एक लाख पंद्रह हजार रूपए प्रतिमास;

(ख) केबिनेट मन्त्री — पचानवे हजार रूपए प्रतिमास;

(ग) राज्य मन्त्री — तिरानवे हजार रूपए प्रतिमास; और

(घ) उप मन्त्री — अस्सी हजार रूपए प्रतिमास।"; और

(ख) उपधारा (1—क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1—ख) मंत्रियों का वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 के स्पष्टीकरण के खण्ड (v) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रस्फीति सूचकांक के आधार पर प्रथम अप्रैल, 2030 से प्रारम्भ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् बढ़ाया जाएगा।"।

धारा 4 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"**4. सरकार भत्ता.**—प्रत्येक मन्त्री एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,

(क) उपधारा (1) में,

(i) "चार लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "छह लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर संदेय होगा किन्तु प्रति किलोमीटर प्रभार पच्चीस रूपये से अनाधिक तथा छह लाख रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर होगा।"; और

(iii) द्वितीय परंतुक में "चार लाख रूपये" शब्दों के स्थान पर "छह लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) उपधारा (2) में "पच्चीस हजार" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय में तीव्रता से वृद्धि के कारण मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख :......................., 2025

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों को अधिनियमित किए जाने से राजकोष पर लगभग दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय अर्न्तवलित होगा, तथापि, जिसका ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(फाइल नं० जी०ए०डी०सी०(6)–2/2025)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2025

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :......................................, 2025.

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा:

3. **वेतन और भत्ते.**—(1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थातः—

(क) मुख्य मन्त्री	पचानवे हजार रुपए प्रतिमास;
(ख) कैबिनेट मन्त्री	अस्सी हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मन्त्री	अठहतर हजार रुपए प्रतिमास; और
(घ) उप–मन्त्री	पचहत्तर हजार रुपए प्रतिमास ।

(1–क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय वेतन को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

(2) प्रत्येक मन्त्री प्रतिमास पांच हजार रूपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मन्त्री अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान, प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (पप) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।

4. **सत्कार भत्ता.**— प्रत्येक मन्त्री पचानवे हजार रुपए प्रतिमास की दर से सत्कार भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी मन्त्री को संदेय सत्कार भत्ते को, प्रथम अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, कोरोना वायरस (कोविड–19) सर्वव्यापी महामारी से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा।

7. **रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा निःशुल्क यात्रा.**–(1) प्रत्येक मन्त्री अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर या टैक्सी द्वारा राज्य के बाहर और देश के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार, ऐसी की गई यात्रा की टिकटों या बिलों के प्रस्तुत करने पर, होगा :

परन्तु टैक्सी द्वारा की गई यात्रा पर व्यय चार लाख रुपए की अधिकतम राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि किसी भी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम चार लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद "कुटुम्ब" से पति–पत्नी, उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा/होगी।

(2) प्रत्येक मन्त्री, उसके अनुरोध पर, ऐसी यात्रा करने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अनधिक अग्रिम का हकदार होगा तथा ऐसा संदत्त अग्रिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समायोजित किया जाएगा, ऐसा न होने पर पूर्ण अग्रिम, उसके वेतन और भत्ते से एकमुश्त राशि में वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के अधीन कुल रकम का अवधारण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10–क या हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 के अधीन, उसी वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में इस प्रकार उपगत की गई रकम को हिसाब में लिया जाएगा।

10. टेलीफोन का निःशुल्क संस्थापन.—(1) प्रत्येक मन्त्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान पर या अपने स्थाई निवास के स्थान पर, यदि ऐसे स्थान पर ऐसी सुविधा साधारण दरों पर और कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना उपलब्ध है, जैसा भी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक टेलीफोन संस्थापित कराने का हकदार होगा और संस्थापन के स्थान के ऐसे विनिर्दिष्ट किए जाने के पश्चात् ऐसे टेलीफोन के प्रथम संस्थापन के लिए प्रभार, प्रतिभूति निक्षेप और वार्षिक किराया, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और अन्य सभी व्यय जैसे कि जो स्थानीय या बाह्य कालों से सम्बन्धित है, मन्त्री द्वारा संदत्त किए जाएंगे:

परन्तु यह कि मन्त्री को, जो इस उपधारा के अधीन टेलीफोन (दूरभाष) स्थापित करता है, दस हजार रुपये प्रतिमास की दर से टेलीफोन (दूरभाष) भत्ता संदत्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उसे प्रदान की गई टेलीफोन सुविधा का, उसके मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए उपयोग कर सकेगा।

(2) वे सभी व्यय, जो मन्त्री द्वारा उपधारा (1) के अधीन संस्थापित टेलीफोन के सम्बन्ध में संदेय है, उसके द्वारा सीधे नकद संदत्त किए जाएंगे और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य सरकार से देय किसी रकम में समायोजित किए जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 8 OF 2025

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Substitution of section 4.
4. Amendment of section 7.

Bill No. 8 of 2025

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2025. Short title.

2. In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter referred to as the "principal Act"), — Amendment of section 3.

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely:—

(a)	Chief Minister	One lakh fifteen thousand rupees per mensem;
(b)	Cabinet Minister	Ninety five thousand rupees per mensem;
(c)	Minister of State	Ninety three thousand rupees per mensem; and
(d)	Deputy Minister	Eighty thousand rupees per mensem."; and

(b) after sub-section (1-A), the following shall be inserted, nemely:—

"(1-B) The salary of a Minister shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2030 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 40 of the Income Tax Act, 1961.".

Substitution of section 4.

3. For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"**4. Sumptuary Allowance.**—Each Ministers shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of rupees one lakh fifty thousand per mensem.".

Amendment of section 7.

4. In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "four lac rupees", the words "six lakh rupees" shall be substituted;

(ii) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the expenses of journey by taxi shall be on actual basis but per kilometer charges shall not exceed more than twenty five rupees and shall be within the maximum limit of six lakh rupees:"; and

(iii) in the second proviso, for the words "four lac rupees" the words "six lakh rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "twenty five thousand", the words "fifty thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living, it has been considered necessary to amend the provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA
The____________ March, 2025.

FINANCIAL MEMORANDUM

Provisions of the Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of approximately two crores on the State Exchequer, however, the exact amount cannot be quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. GAD-C-D(6)-2/2025]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2025 recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
The__________,2025.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) ACT, 2000 (ACT NO. 11 OF 2000) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections:

3. Salaries and allowances.—(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely:—

(a)	Chief Minister	Ninety five thousand rupees per mensem;
(b)	Cabinet Minister	Eighty thousand rupees per mensem;
(c)	Minister of State	Seventy eight thousand rupees per mensem; and
(d)	Deputy Minister	Seventy five thousand thousand rupees per mensem.

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the salary payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1 April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.

(2) Each Minister shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem.

(3) Each Minister shall be entitled to receive an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

4. Sumptuary Allowance.—(1) Each Minister shall be entitled to receive sumptuary allowance at the rate of rupees ninety five thousand per mensem.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the sumptuary allowance payable to a Minister under sub-section (1), shall be reduced by thirty percent. for a period of one year commencing from the 1st April, 2020, to meet the exigencies arising out of Corona Virus (COVID-19) pandemic.

7. Free transit by railway or by air or by taxi.—(1) Each Minister during the term of office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the Country or by taxi outside the State and within the Country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets or bills of such journey performed, subject to maximum amount of four lac rupees in each financial year:

Provided that the expenses of journey by taxi shall not be more than ten percent of the maximum amount of four lac rupees:

Provided further that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by taxi in a financial year shall not exceed four lac rupees.

Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse, their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.

(2) Each Minister shall be entitled for an advance not exceeding rupees twenty five thousand on his request to undertake such journey and the advance so paid shall be adjusted before the closing of financial year, failing which the entire advance shall be recovered from his salary and allowances in lump-sum.

Explanation.—For determining the aggregate amount under this section, the amount so incurred in the same financial year on journey by railway or by air or by taxi under section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (4 of 1971) or under section 6 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (8 of 1971) shall be taken into account.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—2514—जुड/2025—27—03—2025——175.